

- ✓ (iii). छय से पुस्तक की लिखी प्रति - पाण्डुलिपि
- (iv). बारह से सोलह वर्ष की आयु की कन्या - किशोरी
- (v). जिसका कोई शत्रु न हो - निःशत्रु

PCS (Lower) 2002 Spl.

- (i). जो धरती फोड़कर जन्मता हो - उद्भ्रमिज
- ✓ (ii). जो पराये की हित चाहता हो - परोपकारी
- (iii). जो बहुत श्रापसँ जानता है - बहुश्रापविद्
- (iv). जो पहले कभी नहीं रुना गया - अश्रुतर्ष्व
- (v). जो व्याकरण जानता है - वैयाकरण

Lower : 1998

- (i). आकाश चुम्बने वाला - गगनचुम्बी
- (ii). जो भेदा न जा सके - अभेद्य
- (iii). जो कम बोलने वाला हो - मितभाषी
- (iv). जिससे बैलन न मिलता हो - औपैतनिक
- (v). जंगल में लगी हुई आग - दावानल

PCS (Lower) : 1990

- (i). जिसने उधार लिया हो - श्रवणी
- ✓ (ii). जो बदला न जा सके - अपरिवर्तनीय
- (iii). जहाँ सेना रहती हो - द्वावनी
- (iv). जो नीलिवान हो - नीतिवि
- (v). जहाँ आबादी न हो - निर्जन
- (vi). जो विश्वास करने लायक न हो - आविश्वासनीय
- (vii). जो भवन गिर गया हो - खण्डहर
- (viii). जो ईश्वर में विश्वास रखता हो - आस्तिक
- (ix). जिसमें उत्साह न हो - निरुत्साही
- (x). जो अधिक बोलता हो - वात्पत्य
- (xi). जिसके थिर पर मल न हो - गंजा

PCS (Lower) 1975

- (i) सरलता से प्राप्त होने वाला - सुलभ
- (ii) सबको समान भाव से देखने वाला - समदर्शी
- (iii) कष्ट सहकर होने वाला कार्य - दुष्कर
- (iv) बहुत कम बोलने वाला - मितभाषी
- (v) जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो - स्वर्गीय
- (vi) आकाश में विचरण करने वाला - नभचर
- (vii) दो आधरुँ बोलने वाला - द्विभाषी

LDA/UDA - 2010

- (i) खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है - पाथेय
- (ii) आधी रात का समय - मिश्रित
- (iii) जिसके पास कुछ न हो - अकिंचन
- (iv) जिसने बुलाया न गया हो - अनाइत
- (v) मोश की इच्छा रखने वाला - मुमुक्षु
- (vi) रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान - नेपथ्य
- (vii) हवन में जलाने वाली लकड़ी - सामिधा
- (viii) दिखाएँ ही जिनका वस्त्र हो - दिगंबर
- (ix) जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो - कानीन
- (x) चेत की आग्नि - जठराग्नि

LDA/UDA - 2006

- (i) जिसका शत्रु जन्मा ही न हो - अजातशत्रु
- (ii) शब्द गरा जो व्यक्त न हो सके - अव्यक्त
- (iii) साँझ व रात्रि के बीच का समय - गोधूली
- (iv) जिसके शय्य में शूल हो - शूलपाठी
- (v) जो सब कुछ जानता हो - सर्वज्ञ

अव्यक्त
अकथनीय
अनिवर्त्तनी

AP0: 1994

- (i). अच्छी आँखों वाली स्त्री - सुनैना
- (ii). अपनी इच्छा से आचरण करने वाला - स्वेच्छाचारी
- (iii). एक माँ के चेत से उत्पन्न - सहोदर
- (iv). कम खाने वाला - अल्पाहारि
- (v). जहाँ तक संभव हो - यथासंभव

AP0: 1988.

- (i). किये गये उपकार को मानने वाला - कृतज्ञ
- (ii). जो अनुकरण करने योग्य हो - अनुकरणीय
- (iii). कम बोलने वाला - मितभाषी
- (iv). जिसका यश चारों ओर फैल गया हो - यशस्वी
- (v). घेर से लेकर खिर तक - आपादमस्तक

AP0: 1982

- (i). किये गये उपकार को न मानने वाला - कृतघ्न
- (ii). जिसकी तुलना न की जा सके - अनुत्तनीय
- (iii). स्वयं से उत्पन्न होने वाला - स्वयंभू
- (iv). आकाश को छूने वाला - गगनस्पर्शी
- (v). जिसका कोई शत्रु न हो - निःशत्रु
- (vi). जिसने मृत्यु पर विजय पायी हो - मृत्युंजय

(vii). जो शमा करने योग्य नहीं है - अशम्य

(viii). पश्चिम व ऊपर दिशाओं का मध्यस्थ कोण - वायव्य

AP0: 2006

(i). जिसकी चार भुजाएँ हो - चतुर्भुज

(ii). जानने की इच्छा - जिज्ञासा

(iii). दो बार जन्म लेने वाला - द्विज

(iv). भविष्य में होने वाला - (भविष्य)

(v). जो युद्ध में स्थिर रहता हो - युधिष्ठिर

AP0: 2002

(i). जिसके पास कुछ न हो - अकिंचन

(ii). जिस पर आक्रमण किया गया हो - आक्रांत

(iii). जिसकी पत्नी मर गई हो - विधुर

(iv). जो आँखों के आगे उपास्थित हो - प्रव्यक्ष

(v). जो मरने का इच्छुक हो - मुमूर्षु

AP0: 1997

(i). गुरु के दम्पति रहने वाला विद्यार्थी - अंतैवासी

(ii). जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो - प्रतिष्ठित

(iii). जीने की इच्छा - जिजीविषा

(iv). जिसका अनुभव इन्द्रियों द्वारा न किया जा सके - अतीन्द्रिय

AP0: 1996

(i). जिसकी गीवा सुन्दर हो - सुशीव

(ii). दो बार जन्म लेने वाला - द्विज

(iii). जो शमा पाने लायक है - शम्य

(iv). जिसके चार पैर हैं - चतुष्पद

(v). जो कुछ नहीं जानता - अज्ञ

LDA/ UDA : 1995

- (i). जिसका कोई शत्रु न हो - मिः शत्रु
- (ii). जो वचन या वाणी झट न कहा जा सके - अनिवर्त्तनीय
- (iii). बिना पलक गिराये हुए - अनिमेष
- (iv). पुग्ने तक बाँधु वाला - अजानबाहु
- ✓ (v). जिसका इन्हीं द्वारा अनुभव न हो सके - अगोचर
- ✓ (vi). जो सबको समान रूप से देखता हो - समदर्शी
- (vii). जो भेदा या लोड़ा न जा सके - अभेद्य
- (viii). प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री - प्रियंवदा
- (ix). जिसके पार न देखा जा सके - अपारदर्शी
- ✓ (x). जिसका दमन करना कठिन हो - दुर्भय

SDI : 2008

- (i). जिसके पास कुछ भी न हो - अकिंचन
- ✓ (ii). निम्न जाति में जन्म लेने वाला - अंत्यज
- (iii). अनिश्चित जीविका - आकाशवाहि
- (iv). जिस पर हमला न किया गया हो - अनाक्रांत
- (v). जो बहुत मन्द गति से कार्य करता हो - दीर्घसूत्री
- (vi). उचित-अनुचित का ज्ञान रखने वाला - विवेकी
- (vii). जो अपने कर्त्तव्य का निश्चय न कर सके - किंकर्तव्यविमूढ़
- (viii). अनेक युगों से चला आने वाला - सनातन
- (ix). ऐसा कवि जो तत्काल कविता रचित करता हो - आक्षुब्ध

NT : 2006

- (i). जिसकी आज्ञा न की गई हो - अप्रत्याशित
- (ii). जिस पर उपकार किया गया हो - उपकृत
- (iii). युगों से चला आने वाला - सनातन
- (iv). जिसे बुढ़ापा न आये - अजर
- (v). जिसे ईश्वर में विश्वास है - आस्तिक
- (vi). जो व्याकरण जानता है - वैयाकरण

निबन्ध (Essay)

अंक - $50 \times 3 = 150$

समय - (तीन) घंटा

शब्द सीमा - प्रत्येक, अधिकतम - 1700

खण्ड (क) : 1. साहित्य एवं संस्कृति

2. सामाजिक - श्रमवादाचार, आत्मवाद, न्यायवाद
सांप्रदायिकता, महिला सशक्तिकरण
जनलोकपाल, न्यायिक सक्षमता
रचना का अधिकार ... etc.

3. राजनीतिक क्षेत्र

खण्ड (ख) : 1. विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी

2. आर्थिक क्षेत्र

3. कृषि, उद्योग एवं व्यापार

खण्ड (ग) : 1. राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना : समसामयिकी

2. प्राकृतिक आपदाएं : बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप
सुनामी etc.

3. राष्ट्रीय विकास : योजना / परियोजना

अंक निर्धारण : — विषय सामग्री - 30
भाषा - 10
शैली - 10 } Out of 50

Def : निबन्ध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का मिश्रण है।

विशेषताएं - (i) व्याक्तित्व की अभिव्यक्ति

(ii) संक्षिप्तता

(iii) प्रवाह

(iv) संपूर्णता

निबन्ध के आरूप / अंग :-

1. प्रस्तावना :- विषय से परिचय
आकर्षक, लाघार्भित, तथानुपूर्ण
अनावश्यक विस्तार नहीं
2. प्रतिपादन :- विषय का क्रमिक इच्छियों में विभाजन
विभाजित विद्गुओं का संख्यलावड, तर्कपूर्ण प्रस्तुति
विषय को रोचक बनाने के लिए - उद्घरण, उदाहरण, कविता, सुक्तियां
नये तथ्य, विचार, तर्क नये पैरा से
3. उपसंहार :- चरम अवस्था
प्रतिपादित विषय का सार
पाठक पर छाप डोडने वाला

सावधानियां :-

1. निबन्ध को श्लोक, गीत, कविता से नहीं शुरू करना है, यदि देना चाहें तो बीच में ।
2. उद्घरण, उदाहरण, मुहावरे, लोकोक्तियां डेनी हैं।
3. Heading कभी नहीं
4. Numbering कभी नहीं
5. कई कारण हैं तो para wise
6. हर para maximum 60 words का
7. अंतिम para 125-130 words का
8. निष्कर्ष में हमेशा अपना सुझाव - 'positive'

नमामि गंगे



माँ के रूप में आदर पाने वाली गंगा नदी अपने देश की अमृत रेखा मानी जाती है। गंगा नदी का न सिर्फ आर्थिक महत्व है, बल्कि हमारे धार्मिक श्रद्धा तथा संस्कृति का भी प्रतीक है। हिन्दू धर्म में गंगा नदी को देवी का रूप माना गया है। पौराणिक ग्रन्थों में गंगा नदी को अत्यन्त पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी के पवित्र जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कोई भी हिन्दू संस्कार व उत्सव बिना दो बूँद गंगा जल के पूर्ण नहीं होगा। धार्मिक व अध्यात्मिक रूप से इतनी महत्ता होने के बावजूद आज गंगा नदी का अस्तीत्व संकट में है। भारत की 43% जनसंख्या गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में रहती है। 10 लाख वर्ग किमी से अधिक बोझिल वाली गंगा नदी साढ़ेघों से विशाल जनसंख्या का भरण-पोषण करती आई है। वर्तमान समय में 50 करोड़ की जनसंख्या किसी न किसी रूप में गंगा नदी से जुड़े है। आर्थिक रूप से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हुए हम सभी ने इस नदी को गंभीर रूप से प्रदूषित किया है और इसके अस्तीत्व पर संकट मँडरा रहा है।

गंगा नदी के प्रदूषित होने का प्रमुख कारण (मानव तथा घरेलू अपशिष्टों) का इस पवित्र नदी में प्रवाहित करना है। लगभग 30 बड़े शहर तथा 70 छोटे शहर व कस्बे इस नदी के तट पर बसे हैं जो दैनिक लाखों टन गन्दगी इस नदी में प्रवाहित करते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में दोपे-बड़े (इण्डो) अत्यन्त रसायनों को इस नदी में प्रवाहित करते हैं। धार्मिक कारणों से भी पवित्र नदी होने के कारण मोक्ष की प्राप्ति हेतु श्रद्धा, आर्थिक लक्ष्य, पूजा-पाठ के (उद्देश्य), मूर्तियों आदि प्रवाहित की जाती है। केवल इलाहाबाद में माघ मेलों में पवित्र स्नान करने हेतु 4 करोड़ लोग आते हैं जो स्नान के साथ-2 अन्य प्रकार की गन्दगी भी फैलाते हैं। जगह-2 बाँध बनाये जाने के कारण भी इस नदी

प्रवाह की तीव्रता में कमी आयी है।

आज पवित्र गंगा जल कहने भर को पवित्र रह गया है। दृष्टीकत यह है कि यह पवित्र जल पीने योग्य तो इतना स्नान करने योग्य नहीं रह गया है। आज गंगा नदी का BOD सामान्य से 66% अधिक है। कानपुर में कोमिथम की मात्रा सामान्य से 70 गुना अधिक है। पारे की मात्रा 80% से अधिक है। गंगामल में इतने खतरनाक रसायन व अजैविक तत्व घुल गये हैं कि उनमें रहने वाले जलीय जीव मछलियों, डाक्किनों आदि का जीवन संकट में है। एक अध्ययन में पाया गया है कि इस नदी के आस-पास रहने वाले लोगों को अन्य शैलों की अपेक्षा पेन्सिल, कालरा, उग्ररिया, हिपेराइडिस, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। बड़े-बड़े बाँध बनाये जाने के कारण गंगा नदी की धारा की तीव्रता में कमी आई है। आसपास के हज़ारों हेक्टेयर जंगल तथा भूमि जलमग्न हुई है जिससे कृष्ण जीव तथा मानव वसाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृकप तथा अचानक बाढ़ का भी खतरा बना रहता है।

दैवीय आस्था की सतीक, माँ के रूप में प्रसिद्ध पवित्र गंगा नदी जो करोड़ों लोगों की भरण-पोषण कर रही है, हम सबको मिलकर प्रदूषण मुक्त करना होगा। बड़े-बड़े शहरों से गंदे नालों, सीवेज आदि से वाइल मल को सीधे गंगा नदी में न डालकर सहे शुद्धीकरण करने के पश्चात् ही साफ़ पानी को छोड़ना चाहिए। चीनी मिल, चमड़ा उद्योग, बुन्दूखाने आदि से निकलने वाले खतरनाक रसायन व गंदे जल को गंगा नदी में सीधे प्रवाहित करने पर बहुत प्रतिकूल होना चाहिए। विद्युत शक्ती गृहों की स्थापना, आर्थिक लाभ को बढ़ाना प्रतीक मात्र तथा समा-पाठ के अवशेषों व मूर्तियों को प्रवाहित करने पर बहुत प्रतिकूल होना चाहिए। बड़े-2

बाँधों से भी बनना होगा जिससे गंगा नदी अपने प्राकृतिक रूप में प्रवाहित हो सके।


गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए मीडिया, स्वयंसेवी संस्थाओं, बुद्धिजीवियों को भी लागे जाना होगा। संगोष्ठीयों, व्याख्यानमालाओं, सेमिनारों का भी आयोजन होना चाहिए। गंगा के आस-पास रहने वाले लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन के हिम्ल नदी को लिया जा सकता है जिसे वहाँ कादर का दर्जा प्राप्त है। कुछ समय पहले यह नदी अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी थी परन्तु सरकार ने बृहद पैमाने पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। आज इस नदी में एक भी तिनका डालना ब्रिटेन का भी पाप समझते हैं और आज विश्व की सर्वाधिक प्रदूषण मुक्त नदियों में से एक है।

गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सबसे पहले गंभीर रूप से 1985 में गंगा एक्शन प्लान के तहत शुरु किया गया। दो चरणों में चलने वाले इस अभियान में कुल 1400 करोड़ रुपये खर्च हुए परन्तु अपेक्षित सफलता न मिलने पर इसे 2000 ई में बन्द कर दिया गया। 2009 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बोर्डिन आधिकारण का गठन किया गया तथा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इस योजना के तहत लगभग 850 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया।

हाल में ही सुप्रीमकोर्ट ने केन्द्र को एक समय सीमा के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का आदेश दिया है। नई सरकार जो

सत्ता में आने के बाद ही अपने पहले ही कदम में (2037) करोड़ रुपये को खर्च कर गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 'नमामि गंगे' नाम से योजना का

प्रारंभ किया है तथा इसके लिए एक अलग मंत्रालय
 का भी गठन किया गया है। गंगा नदी को प्रदूषित
 करने वाले तत्वों पर कड़ी नज़र रखने के लिए 'गंगा
वाहिनी' नामक संयोजकी दलों को तैयार करने की भी
 घोषणा की गई है। वास्तव में यह प्रयास सामंजस्य
 रूप से होना चाहिए जिसमें जन-जन की सहभागिता
 अपेक्षित है तभी गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाया जा
 सकता है।



भूमिका/महत्व



प्रदूषण का कारण



दुष्परिणाम



रोकने के उपाय



सरकारी प्रयास



वर्तमान स्वरूप और
प्रयास

पत्र-लेखन


सरकारी / शासकीय / राजकीय / आसनादेश [Official Letter / Government Order - G.O.]

सरकारी कामकाज से सम्बन्धित पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। यह एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार को, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को, राज्य सरकार द्वारा केन्द्र अथवा अन्य राज्य सरकारों को, एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे सरकारी विभाग को, एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है। इनमें सरकार के किसी निर्णय, नीति निर्धारण, समझौता निदान आदि को विषय बनाया गया होता है।

सरकारी पत्र इसी तरह से औपचारिक होते हैं; इसमें व्यक्तिगत परिचय की अवसर बिल्कुल नहीं होती। यह एक निश्चित ढाँचे में बला होता है। इसकी समझौता सामग्री यथार्थ परक तथ्यों, विधियों, उपनियमों से बंधा होता है। पत्र में लेखक की कोई अपनी बात न हो कर तर्क संगत एवं विधि संगत कथन मात्र होता है। संक्षिप्तता सरकारी पत्रों की सीढ़ है। भाषा औपचारिक, तथ्य परक, स्पष्ट एवं सर्वथा शुद्ध होता है। यह राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा होता है। यह सर्वत्र उच्च पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। इनमें एक आदेश या हयना एक पैराग्राफ में लिखा जाता है दूसरा आदेश या हयना संख्या - डालकर दूसरे पैराग्राफ से लिखा जाता है।

विशेषतारें :-

- (i) सरकारी पत्र सरकारी काम-काज से सम्बन्धित होते हैं।
- (ii) यह एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार को, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार, एक सरकारी विभाग या कार्यालय द्वारा दूसरे सरकारी विभाग या कार्यालय को लिखा जाता है।
- (iii). इनमें सरकार के किसी निर्णय, नीति निर्धारण या समस्या निदान को विषय बनाया गया होता है।
- (iv) यह इसी तरह से (औपचारिक) होते हैं, इसमें व्याक्तिगत परिचय की झलक बिल्कुल नहीं होती।
- (v). यह एक (निश्चित ढाँचे) में ढलता होता है।
- (vi). इसकी समस्त (सामग्री) यथार्थपरक तथ्यों, नियमों, उप-नियमों से बँधा होता है।
- (vii). पत्र में लेखक की कोई अपनी बात न हो कर तर्क-संगत एवं विधि संगत कथन मात्र होता है।
- (viii). (संक्षिप्तता) सरकारी पत्रों की सीढ़ है।
- (ix). (भाषा) औपचारिक, तथ्य परक, स्पष्ट एवं सर्वथा शुद्ध होता है।
- (x). यह (राजभाषा) / वैकल्पिक राजभाषा में लिखा होता है।
- (xi). यह सर्वेव अन्य पुरुष (शैली) में लिखे जाते हैं (मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि...)
- (xii). एक आदेश या सूचना एक (पैराग्राफ) में इसका आदेश या सूचना संपूर्ण उलकर दूसरे पैराग्राफ से लिखा जाता है।



महत्त्व :-

- (i). समस्त सरकारी क्रिया-कलाप, शासनादेश सरकारी पत्रों पर ही निर्भर होते हैं।
- (ii). सरकारी पत्र समस्त सरकारी क्रिया-कलापों को वैधानिक आधार देते हैं।
- (iii). शक्ति के सन्दर्भ में दस्तावेजीकरण का आधार होता है।

प्रमुख अंग :-

1. पत्र संख्या, अनुभाग, वर्ष
2. विभाग / कार्यालय
3. स्थान, तिथि
4. प्रेषक
5. प्रेषित
6. विषय
7. संबोधन
8. मुख्य भाग
9. समापन
10. पृष्ठांकन

प्रेषक

पत्र सं०- J-14/78

क.स.ग.

सचिव, गृह मंत्रालय

भारत सरकार

सेवा में,

मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ

विज्ञ (संसाधन) अनुभाग

नयी दिल्ली, 30 अगस्त 2014

विषय : बाढ़ पीड़ितों के सहायता के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार ने राज्य में बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को पाँच सौ करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया है, जिसे उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया जा चुका है। भारत सरकार इसकी प्रगति के साथ-साथ व्यय का अनुमान भी चाहती है।

कृपया 30 सितम्बर, 2014 तक संशर्ण सूचना ले अवगत करावें।

प्रतियोग

ह०

(क.स.ग.)

सचिव, भारत सरकार

सं०- J-14/78, दिनांक 30 अगस्त 2014

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त सचिव, भारत सरकार
2. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन

आज्ञा से

ह०

(अ. व. स.)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार